मध्यप्रदेश का जलक्षेत्र परिदृश्य

पानी का बाजार बना प्रदेश

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी ब्रेटन वुड्स संस्थाओं द्वारा कोई साढ़े तीन दशक पहले प्रारंभ किए गए ढाँचागत समायोजना कार्यक्रम के असर अब जल क्षेत्र में भी प्रमुखता से दिखाई देने लगे हैं। अलग–अलग राजनैतिक दलों की प्रांतीय सरकारें या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित उदारीकरण समर्थक योजनाओं को या तो आँख मूँदकर (सही अर्थों में जानबूझकर) स्वीकार कर रही हैं या फिर खुद उससे भीएक कदम आगे बढ़कर योजनाएँ बना रही है।

नेशनल अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (50 करोड़ डॉलर), नेशनल अरबन रिफॉर्म फण्ड (40 करोड़ डॉलर) जैसे विश्व बैंक के अपेक्षाकृत छोटे कर्जों और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एवं केपेसिटी बिल्डिंग (4 करोड़ डॉलर) जैसी तकनीकी सहायता के कारण अपने देश के जलक्षेत्र में बड़े नीतिगत बदलाव किए गए हैं। इसके तहत दिसंबर २००५ में केन्द्र सरकार ने शहरी बुनियादी ढाँचा निर्माण हेतु **जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन** (JnNURM) नाम की प्रमुख योजना प्रारंभ की थी। **छोटे तथा मझौले नगरों की अधोसंरचना विकास योजना** (UIDSSMT) भी इसी का हिस्सा थी जिसे देशभर के छोटे नगरों के क्रियांवित किया गया।

वर्ष २००३ के अंत में एशियाई विकास बैंक से **'शहरी जल आपूर्ति तथा पर्यावरण सुधार'** तथा विश्व बैंक से **'मध्यप्रदेश जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना'** नाम से मध्यप्रदेश को प्राप्त कर्जों की शर्तों के पालन हेतु प्रदेश में भी पेयजल प्रदाय और सिंचाई क्षेत्र में उदारीकरण तेजी से आगे बढ़ाया गया। इसी प्रकार के कर्ज अन्य राज्यों ने भी लिए हैं। इन कर्जों की शर्तों में राज्य की संप्रभुता को भी गिरवी रख दिया गया है जैसे इन कर्ज की शर्तों पर पुनर्विचार का अधिकार विधानमण्डलों को भी नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन

केन्द्र सरकार समर्थित **जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन** के तहत निर्मित पेयजल योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य इन योजनाओं को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाकर उन्हें पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (सामान्य शब्दों में निजीकरण) आकर्षित करने लायक बनाना है। निजी क्षेत्र को आकर्षित करने का अर्थ आम नागरिकों के लिए मुसीबत हैं।

UIDSSMT के तहत मध्यप्रदेश की खण्डवा और शिवपुरी की जलप्रदाय योजनाओं को पीपीपी के तहत निजी कंपनियों क्रमशः **विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड सर्विसेस (प्रा॰) लिमिटेड** एवं **दोशियन लिमिटेड** को सौंपा गया है। दोशियन लिमिटेड पानी का व्यापार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक **विओलिया** की सहयोगी है।

इन योजनाओं में लगने वाला 90% धन केन्द्र अथवा राज्य सरकार से अनुदान के तहत प्राप्त होता है लेकिन छोटा सा निवेश करने वाली कंपनियों को खण्डवा और शिवपुरी में २५ वर्षों तक सारे मुनाफे का मालिक बना दिया गया है। इन शहरों में निजी कंपनियों को दिए गए असीमित अधिकार आँखें खोलने वाले हैं। जिस दिन से नगरनिगम क्षेत्र में स्थित समस्त प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जल स्रोत ठेकेदार कंपनियों के अधीन हो जायेंगें। नगरनिगम को अपना संपूर्ण जलप्रदाय तंत्र निजी कंपनियों को सौंपना होंगा। **'कोई प्रतियोगी सुविधा नहीं'** या No parallel competing facility के प्रावधान के तहत निजी कंपनियों को जलप्रदाय पर एकाधिकार दे दिया गया है यानी ठेकेदार कंपनियों के अलावा उन शहरों में कोई भी (स्थानीय निकाय और राज्य शासन समेत) जलप्रदाय नहीं कर पाएगा और नगरीय निकाय स्वयं निजी कंपनी का उपभोक्ता बन जाएगा। सारे सार्वजनिक नल (हेण्डपंप समेत) बंद कर दिए जायेंगें और सभी गरीब परिवारों को व्यक्तिगत नल कनेक्शन लेने हेतु बाध्य किया जाएगा। जल दर निर्धारण समिति में किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि या आम जनता के प्रतिनिधियों का कोई स्थान नहीं है। जल दरें निर्धारण समिति में या तो निजी कंपनी के प्रतिनिधि है या उनके द्वारा प्रभावित किए जा सकने वाले नगरीय निकाय के इंजीनियर और आडिटर हैं। तकनीकी खराबी के कारण जलप्रदाय नहीं होने पर वैकल्पिक जलप्रदाय हेतु कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जलप्रदाय योजनाओं का पीपीपी के तहत क्रियांवयन किए जाने को शिवपुरी और खण्डवा के समुदाय ने स्वीकार नहीं किया है और इन योजनाओं का विरोध जारी है।

इसके बावजूद देशभर के नगरीय निकायों ने UIDSSMT के प्रति खूब रूचि दिखाई है। अगस्त 2010 तक के पहले ढाई वर्षों में इस योजना के तहत देश में 19,936 करोड़ रुपए की लागत वाली 979 योजनाएँ स्वीकृत की गई थी जिनमें से 10,478 करोड़ रुपए की 524 योजनाएँ जलप्रदाय से संबंधित थी। यदि इन योजनाओं में पानी से संबंधित अन्य योजनाएँ जैसे मलनिकास, तुफानी जलनिकास, जलस्रोतों का संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल कर लिया जाए तो कुल योजनाओं की संख्या 843 थी जिनकी कुल लागत 18,506 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार 93% राशि का आवंटन पानी से संबंधित योजनाओं हेतु किया गया था।

इसी प्रकार मध्यप्रदेश में जुलाई 2014 के आँकड़ों के अनुसार 113 शहरों में 2,857 करोड़ रुपए की 180 योजनाएँ जारी है जिनमें से 99 शहरों की 2367 करोड़ रुपए की लागत वाली 114 योजनाएँ पानी संबंधित है। विभागीय रिपोर्टों के अनुसार कोई भी योजना समय पर पूरी नहीं हुई है निर्माण में वर्षों पीछे रही है।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

हालांकि UIDSSMT मार्च 2014 में समाप्त किया जा चुका है इसलिए मध्यप्रदेश में **'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'** बनाई गई है जिसमें प्रदेश शासन ने निजी कंपनियों के प्रति और अधिक उदारता दिखाई है। **मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना** में पहले से ही तय है कि एक लाख

से अधिक आबादी वाले नगरों में पीपीपी के माध्यम से ही जलप्रदाय योजनाएँ संचालित की जाएगी। पानी के लिए हर परिवार को नल कनेक्शन लेना होगा तथा बिल भरना भी जरूरी होगा। पहले चरण में यह योजना 37 नगरों में लागू की गई थी। योजना के लिए वर्ष 2014-15 के बजट में 651 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा मार्च 2014 तक 977 करोड़ की 72 योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी है।

मध्यप्रदेश जल निगम

मध्यप्रदेश में ग्रामीण जलप्रदाय भी अब निजी कंपनियों के हवाले होने वाला है। वर्ष 2012 में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएँ संचालित करने हेतु **मध्यप्रदेश जल निगम** का गठन कर इसे पेयजल प्रदाय एवं मल निकास के संबंध नीतिगत निर्णय हेतु राज्य की शीर्ष संस्था का दर्जा दिया है। चूँकि जल निगम के लिए निधि राज्य एवं केन्द्र सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त करने का भी प्रावधान रखा गया है इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में 69.80 करोड़ बुंदेलखण्ड राहत पैकेज से तथा नर्मदा शिप्रा लिंक योजना से 10 करोड़ रुपए भी अंतरित किए हैं। साथ ही 400 करोड़ रुपए नाबार्ड से कर्ज लिया है।

जल निगम के उद्देश्यों में उद्योगपतियों, व्यवसायिकों, डिवेलपरों और वित्तीय संस्थाओं को जलप्रदाय योजना निर्माण हेतु आकर्षित किया जाना तथा नागरिकों से बिल वसूली का काम निजी कंपनियों को दिया जाना आदि शामिल है। लेकिन वर्तमान में जारी टेण्डर और अभिरुचि का आमंत्रण (आरएफक्यू) के अनुसार ये योजनाएँ या तो 10 वर्षों के संचालन–संधारण या फिर आकल्पन, निर्माण, निवेश, संचालन और वापसी (DBFOT) के तहत निजी कंपनियों को दिया जाना प्रस्तावित की गई है

जल निगम द्वारा अब तक 73 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है जिनसे 3175 गाँव लाभान्वित होने हैं। सीहोर जिले की मर्दानपुर समूह योजना तथा रायसेन जिले की सेमरीकलां समूह योजनाएँ अपेक्षाकृत बड़ी है जिनसे क्रमशः 182 एवं 105 गाँवों के लाभांवित होने की बात कहीं गई है। देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ परियोजना घोषित नर्मदा–क्षिप्रा लिंक को यहाँ समूह योजना मानते हुए इससे 331 गाँवों के लाभांन्वित होने दावा किया गया है।

नदी जोड़ योजना

पिछले वर्ष मध्यप्रदेश सरकार ने नर्मदा–क्षिप्रा लिंक परियोजना शुरू की है। इस योजना के तहत नर्मदा पर निर्माणाधीन औंकारेश्वार बाँध की नहर से ५० किमी लम्बी पाईपलाईन द्वारा पानी को ३८४ मीटर लिफ्ट कर मालवा की सूख चुकी क्षिप्रा नदी में मिलाया गया है। परियोजना के लाभों में उज्जैन शहर, आसपास के गाँवों तथा सिंहस्थ मेले हेतु पर्याप्त पेयजल उपलब्धता के साथ भूजल में वृद्धि का भी ढिंढोरा पीटा गया है।

नर्मदा–क्षिप्रा लिंक वास्तव में वृहत नर्मदा–मालवा लिंक का एक पहला छोटा चरण है। इसके तहत नर्मदा नदी पर महेश्वर बाँध से गंभीर नदी में तथा इंदिरा सागर बाँध से कालीसिंध और पार्वती नदियों में पानी डालने की योजना है। इस परियोजना के लिए सरकार ने विश्व बैंक के समक्ष ३६० करोड़ डॉलर (करीब १९ हजार करोड़ रुपए से अधिक) के भारी भरकम कर्ज का प्रस्ता व रखा है।

राज्य सरकार के दावे के अनुसार नर्मदा–मालवा लिंक से ३००० गाँवो और १० शहरों को पानी उपलब्ध करवाने के साथ १६.८ लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई होंगी। बिजली से चलने वाली इस योजना से १००० मेगावाट बिजली उत्पादन का हैरतअंगेज दावा भी किया गया है।

विश्व बैंक के कर्ज के कारण नदी जोड़ योजना उदारीकरण के एजेंडे से संचालित होगी तथा व्यावसायिक सिद्धातों पर चलाई जाएगी। वर्तमान में नर्मदा–गंभीर लिंक पर काम जारी है। इस योजना की सैद्धांतिक सहमति संबंधी राज्य शासन के आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि *'परियोजना के संचालन/संधारण पर होने वाला खर्च किसानों से ही लिया जाना चाहिए'*।

विश्व बैंक की शर्त के कारण जुलाई 2013 में प्रदेश सरकार ने **म.प्र. जल विनियमन कानून** पारित कर दिया है। इस कानून के तहत बनने वाला **जल विनियामक आयोग** प्रदेश में बाजार के सिद्धातों के अनुसार पानी का उपयोग निर्धारित करेगा। निमायक आयोग की कार्रवाई न्यायालयीन कार्रवाई की तरह होगी जिसके लिए बड़े वकीलों/सलाहकारों की सेवाएँ लेने की क्षमता पानी का व्यापार करने वाली कंपनियों और उद्योग समूहों के पास ही होगी। समुदाय के पास इस प्रकार के कौशल का अभाव बिजली क्षेत्र की तरह जलक्षेत्र को भी उनकी पहुँच से दूर कर देगा। संक्षेप में निजीकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीने के अधिकारों के तहत नागरिकों के जल अधिकारों को नकार दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान कुछ कर्जों की माँग करने अक्टूबर २०१२ में विश्व बैंक मुख्यालय अमेरिका गए थे। इस संबंध में जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार विश्व बैंक ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की सकारात्मक विकास दृष्टि की सराहना की थी। यदि इस खबर को सही माना जाए तो प्रदेशवासियों के लिए आगे आने वाला समय काफी कठिन होगा क्योंकि प्रदेश की यह *'विकास दृष्टि'* विश्व बैंक की है जिसके जनहितैषी होने की संभावना नहीं है।

– रेहमत
मंथन अध्ययन केन्द्र,
दशहरा मैदान रोड़,
बड़वानी (मध्यप्रदेश) ४५१५५१
२० फरवरी २०१५